उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष
Office of Engineer-in-chief
(Dev.) & Head of Department
उ0प्र0,लो0नि0वि0,लखनऊ–226001
UP PWD, Lucknow-226001

96,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ–226001
96, Mahatama Gandhi Marg, Lucknow
Office : 0522-2237315
0522-2235472
Fax No. 0522-2236716
e-mail: pwdeinc@gmail.com

पत्रांक : 1431 एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/2021

दिनांक : 02/1/2021

परिपत्र

क– राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग

लोक निर्माण विभाग मे राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा अन्य जिला मार्गो हेतु मोर्थ (MoRT&H) की स्टैण्डर्ड डाटाबुक 2019 (द्वितीय संस्करण) Volume-I: For Plain & Rolling Terrain को विभाग मे लागू करने सम्बन्धित परिपत्र सं0–409एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/2021 दि0 12.01.2021 को अवक्रमित करते हुये, मोर्थ की स्टैण्डर्ड डाटाबुक 2019 (द्वितीय संस्करण) Volume-I: For Plain & Rolling Terrain को निम्न प्रतिबन्धो के साथ लागू किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

1. विभिन्न प्रकृति के कार्यो हेतु ओवरहेड चार्जेज निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है।

अ) मार्ग कार्य–	
रू0 50.00 करोड़ तक	10 प्रतिशत
रू0 50.00 करोड़ से 200.00 करोड़ तक	08 प्रतिशत
रू0 200.00 करोड़ से अधिक	06 प्रतिशत
(ब) दीर्घ सेतु/लघु सेतु/स्ट्रक्चर निर्माण/विस्तार कार्य	18 प्रतिशत
(स) सेतुओं की मरम्मत	
दीर्घ सेतु	28 प्रतिशत
लघु सेतु	25 प्रतिशत

6.00 मी0 लम्बाई तक की पुलिया/कल्वर्ट को मार्ग कार्य के अन्तर्गत मानते हुए ओवरहेड लगाया जायेगा।

2. जी0एस0टी0 का प्राविधान नियमानुसार पृथक से किया जाना होगा।

3. लेबर सेस ओवरहेड चार्जेज मे सम्मिलित माना जायेगा। अतः पृथक से नही जोड़ा जायेगा।

4. ठेकेदार/फर्म द्वारा फील्ड स्टाफ को निरीक्षण हेतु हल्के वाहन उपलब्ध कराये जाने को ओवरहेड चार्जेज मे सम्मिलित नही किया गया है।

5. ओवरहेड चार्जेज में ठेकेदार को बीमा कराने हेतु धनराशि का प्राविधान सम्मिलित है तथा ठेकेदार/फर्म द्वारा इन्श्योरेन्स उपलब्ध न कराये जाने को "Fundamental breach of contract" की श्रेणी मे रखा गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि ठेकेदार/फर्म द्वारा इन्श्योरेन्स पालिसी उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ की तिथि निर्गत की जायेगी।

पृष्ठ सं0–2

Scanned with CamScanner

6. भारत सरकार तथा विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं के आगणन सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित ओवर हेड चार्जेज को सम्मिलित करते हुए गठित किये जायेंगे।

ख– ग्रामीण मार्ग

परिपत्र सं0–850एम0टी / 60एम0टी0 / 2021 दि0 20.01.2021 के द्वारा मोर्ड (MORD) की विशिष्टियों के आधार पर निर्मित होने वाले ग्रामीण मार्गो पर ओवरहेड चार्जेज 3.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। लेबर सेस ओवरहेड चार्जेज मे सम्मिलित माना जायेगा अतः पृथक से नहीं जोड़ा जायेगा।

भवदीय,

(राजपाल सिंह)
प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञान मे लाने हेतु।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) / (परि / नियो0) लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियनता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 (ई–मेल द्वारा)
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 (ई–मेल द्वारा)
7. महालेखाकार, वर्क्स, उ०प्र०, इलाहाबाद।

02/2/2021

प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागाध्यक्ष

Scanned with CamScanner